



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125276

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दांडिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 18340 वर्ष 2026

जावीर अली उर्फ जबीर

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अंकित कुमार सिंह, रितेश सिंह, सुरेश सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : राजकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश सिंह की ओर से उपस्थित श्री आर.एन. निगम, राज्य के विद्वान अपर राजकीय अधिवक्ता श्री रोशन कुमार सिंह को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र विचारण के लंबित रहने के दौरान पुलिस थाना- कांट, जिला शाहजहांपुर में बी.एन.एस. की धारा 103(1), 3(5) के अंतर्गत पंजीकृत अपराध संख्या 449 वर्ष 2025 में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में, पूर्व की रंजिश होने के कारण संदेह के आधार पर आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों के विरुद्ध सामान्य आरोप लगाए गए हैं। हालाँकि, सीसीटीवी फुटेज में यह पाया गया कि सह-अभियुक्त रिजवान मृतक की

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



गतिविधियों की रेकी कर रहा था। इसके अतिरिक्त कोई ऐसा चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि आवेदक को अंतिम बार मृतक के साथ देखा गया था। किसी कठोर और कुंद वस्तु की कोई बरामदगी नहीं हुई है। आगे यह निवेदन किया गया है कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, उसकी मृत्यु सिर में आई गंभीर चोटों के कारण हुई जो किसी कठोर और कुंद वस्तु से कारित की जा सकती हैं और सह-अभियुक्त रिजवान की निशानदेही पर खून से सनी एक लाठी भी बरामद की गई। आगे यह निवेदन किया गया है कि एफएसएल रिपोर्ट भी दर्शाती है कि बरामद लाठी पर मानव रक्त के धब्बे थे। अंत में यह निवेदन किया गया है कि पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए अभिरक्षात्मक पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक का कोई दांडिक इतिहास नहीं है और वह 03.01.2020 से जेल में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाहियों में सहयोग करेगा।

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अपर राजकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया किंतु पूर्वोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।
5. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदनों पर विचार करते हुए तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का मामला सह-अभियुक्त रिजवान के मामले से भिन्न है, तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष दांडिक मामलों के भारी लंबन को ध्यान में रखते हुए, साथ ही 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 में रिपोर्ट किए गए कपिल वधावन बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधिदेश पर विचार करते हुए, साथ ही जमानत प्रदान करने के संबंध में **2024** एससीसी ऑनलाइन ऑल **6765** में रिपोर्ट किए गए माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में इस न्यायालय के दिशानिर्देश पर विचार करते हुए तथा मामले के गुणागुण पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, वर्तमान प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. पूर्वोक्त अपराध में अंतर्गस्त आवेदक- जावीर अली उर्फ जबीर को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक वैयक्तिक बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-
 - i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति का कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii. आवेदक बिना कोई स्थगन मांगे विचारण/अन्वेषण में निष्ठापूर्वक सहयोग करेगा।
 - iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी भी दांडिक गतिविधि या किसी अपराध के किए जाने में संलिप्त नहीं होगा।
 - iv. आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।
7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का एक आधार होगा।
8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभूओं की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।
9. संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभूओं के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन भी किया जाना चाहिए।
10. यह निदेश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।
11. कार्यालय को निदेश दिया जाता है कि वह **(2024) 10 एससीसी 685** में रिपोर्ट किए गए दिनांक **31.01.2023** को निर्णीत जमानत प्रदान करने के लिए नीतिगत रणनीति, इन रे: स्वप्रेरणा रिट याचिका (दांडिक) संख्या **4** वर्ष **2021** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के साथ-साथ दिनांक **29.05.2026** को निर्णीत रिट याचिका (दांडिक) संख्या **169** वर्ष **2025** में पीला पाहन उर्फ पीला पाहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य के मामले के अनुपालन में 24 घंटे के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



भीतर ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल के माध्यम से शाहजहांपुर जेल अधीक्षक के जरिए आवेदक को तथा ई-मोड के माध्यम से विचारण न्यायालय को इस आदेश की एक प्रति भेजे।

12. प्रार्थना पत्र, यदि कोई हो, निस्तारित किया जाता है।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

जून 4, 2026

ए.के.आर.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"